

प्रेस-विज्ञप्तिथाना बिलरियागंजमा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फेसबुक पर आपत्तिजनक(अपशब्द) पोस्ट करने वाला अभियुक्त रितिक गिरफ्तारसंक्षिप्त विवरण

आज दिनांक 22.06.2022 को वादी श्री अमन मोदनवाल पुत्र भरत मोदनवाल निवासी नया चौक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि रितिक यादव पुत्र कालीचरन यादव निवासी शिवनगर वार्ड नं0 7 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने खुद के फेसबुक आई0डी0 रंगबाज रितिक से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व अन्य सम्भ्रान्त नेताओ के फोटो को लगाकर अशोभनीय अश्रद्ध भाषा का प्रयोग एवं अश्लील सामग्री प्रकाशन व विडियो स्टेटस लगाकर पोस्ट करने के सम्बन्ध मे दिया गया है व फेसबुक URL उपलब्ध कराया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/2022 धारा 505(2)/504 भा0द0वि0 व 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 बनाम रितिक यादव पुत्र कालीचरन यादव निवासी शिवनगर वार्ड नं0 7 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बिलरियागंज को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 22.06.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र, चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र मे मौजूद थे कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रितिक यादव पुत्र कालीचरन यादव निवासी शिवनगर वार्ड नं0 7 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ अपने घर मे मौजूद मिलने की सूचना पर हिरासत पुलिस मे लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रितिक यादव पुत्र कालीचरन यादव निवासी शिवनगर वार्ड नं0 7 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 130/2022 धारा 505(2)/504 भा0द0वि0 व 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

1. वार्ड नं0 7 शिवनगर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 शशि प्रकाश सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 अजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 अनिरुद्ध मौर्या थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 रेनू यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कोतवाली

अवैध तमन्चा व खोखा कारतूस 315 बोर के साथ एक गिरफ्तार

उ.नि. मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा दिनांक 21.6.22 को समय 21.35 बजे न्याय नगर बंधा से मु.अ.स. 283/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि से सम्बन्धित अभियुक्त उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वसीम कुरैशी निवासी कोल बाजबहादुर जुबेर अखाड़ा वाले के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार कर तथा कब्जे से 1 अदद तमन्चा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया चौकी प्रभारी सिविल लाईन थाना कोतवाली आजमगढ़ के लिखित फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु.अ.स. 283/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि बनाम उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वसीम कुरैशी निवासी कोल बाजबहादुर जुबेर अखाड़ा वाले के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. विजय प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण - .

मु.अ.स. 283/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वसीम कुरैशी निवासी कोल बाजबहादुर जुबेर अखाड़ा वाले के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ बरामदगी -

1 अदद तमन्चा देशी व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया चौकी प्रभारी सिविल लाईन हे0कां0 सुदर्शन यादव कां0 अवध नरायन कां0 रविन्द्र कुमार कां0 अभयराज पासवान थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुर

छेड़खानी के मुकदमे मे वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना- दिनांक 21.06.2022 को वादिनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि सर्वेश कुमार यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी धनियाकुंडी थाना तहबरपुर, आजमगढ़ द्वारा खुद की बहन प्रियंका का शैक्षणिक प्रमाण वापस देने हेतु वादिनी का अश्लील फोटो खींचना मारना पीटना व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी व 3,90,000 रुपये ले लिया गया तथा वापस मांगने पर दिया गया तथा रास्ते मे आते-जाते समय अश्लील हरकते व टिप्पणी करते हुए पीछा किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 178/22 धारा- 323,504,506,294,354ग,406 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सठियांव उ0नि0 श्री अनुज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रचलित है।

2.गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.06.2022 को उ0नि0 श्री अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह के सठियांव चौराहे पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि बनवारी मोड़ अण्डर पास के पास मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त खडा है कही भागने के फिराक मे है कि इस सूचना पर उ0नि0 अनुज पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल के बनवारी अण्डर पास से वांछित अभियुक्त सर्वेश कुमार यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी धनियाकुंडी थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को समय करीब 09.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता रामप्रीत यादव जरिये दूरभाष दिया गया

गिरफ्तारी का स्थान:- बनवारी मोड़ अण्डरपास गिरफ्तारी का समय:- 09.30 बजे

अभियुक्त का नाम पता:-

सर्वेश कुमार यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी धनियाकुंडी थाना तहबरपुर, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 178/22 धारा- 323,504,506,294,354ग,406 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय, का0 उपेन्द्र वर्मा व का0 अनिल वर्मा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.06.2022 को उप-निरीक्षक आसुतोष मिश्रा मय हमराह द्वारा शेरवा नहर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को एक अदद तमन्चा नजायज .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक नफर अभियुक्त नाम शहजाद पुत्र रियाज अहमद निवासी पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 16.50 बजे गिरफ्तार किया गया ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमन्चा नजायज .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 123/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शहजाद पुत्र रियाज अहमद निवासी पठान टोला कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशुतोष मिश्रा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का0 सदीप यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का0 हिमाशुं सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना- तहबरपुर

पिकअप वाहन से 03 व्यक्तियों को रौंद कर मारने वाला 01 अभियुक्त 24 घण्टे अन्दर गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- आवेदिका श्रीमती रीना पत्नी सन्तोष ग्राम इसरपार खास थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 20.06.2022 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि में अभियुक्त सूरज पुत्र पलधारी ग्राम चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ द्वारा जान बूझकर पिकअप वाहन संख्या UP 50 CT 8430 को अचानक स्टार्ट कर तेजी से प्रार्थिनी के दरवाजे से चालाते हुए आस पास व आमने सामने दरवाजे पर बैठे लोगो को जोरदार धक्का व टक्कर मारते हुए हरिराम के दरवाजे के सामने पूरब तरफ नीम के पेड़ में टक्कर मारकर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया उक्त पिकअप गाड़ी से धक्का व टक्कर मारने से मेरे ससुर रामसमुझ पुत्र स्व0 पल्टन एवं मेरे गाँव के पट्टीदार व रिश्तेदार हरिराम पुत्र मित्तू, अंगद पुत्र हरिराम, वन्दना पुत्री अच्छेलाल, भूमि पुत्री संजय व अर्जुन पुत्र स्व0 शंकर राम को काफी गम्भीर चोटें आ गयी हम लोग घायलो को 108 एम्बुलेन्स से जिला अस्पताल चार लोगो को भेजा गया तथा दो लोगो को अपने साधन से निजी अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया एम्बुलेन्स से गये घायल लोग सदर अस्पताल इलाज हेतु पहुँचे जहाँ डा0 द्वारा हरिराम पुत्र मित्तू व अंगद पुत्र हरिराम को मृत घोषित कर दिया गया तथा अन्य दो घायल का इलाज शिवा हास्पिटल ब्रम्हस्थान आजमगढ़ में चल रहा था। जिसमें प्रार्थिनी के ससुर राम समुझ पुत्र स्व0 पल्टन की आज सुबह मृत्यु हो गया। उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2022 धारा 304,308 भादवि पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री बेचू प्रसाद यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.06.2022 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद वाँछित अभियुक्त सूरज पुत्र पलकधारी साकिन चाँदपुर कुसमहरा, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ इस समय ओहनी अण्डर पास के नीचे मौजूद हैं। किसी से मिलने का इन्तजार कर रहा हैं। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता हैं। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके हमराह कर्मचारीगण व मुखबीर खास को साथ लेकर ओहनी अण्डर पास से कुछ दूर पहले पहुँचे ही थे कि मुखबीर खास द्वारा बताया कि साहब जो वह व्यक्ति अण्डर पास के नीचे खड़ा हैं वही मु0अ0सं0 104/22 धारा 304,308 भादवि से सम्बन्धित नामजद वाँछित अभियुक्त सूरज उपरोक्त हैं बताकर हटबढ़ गया। कि हम पुलिस वालो द्वारा खड़े व्यक्ति के नजदीक पहुँच रहे थे कि हम पुलिस वालो को देखकर भागने की कोशिस करने लगा कि हमराह कर्मचारीगण की मदद से 10 – 15 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम सूरज पुत्र पलकधारी साकिन चाँदपुर कुसमहरा, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ बताया और बताया कि साहब दिनांक 20.06.2022 को रात्रि 10 बजे के आसपास ग्राम इसरपार खास में मैने ही पीकअप चालू कर मौके पर मौजूद लोगो को धक्का / टक्कर मार दिया था। साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए। कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई कमलेश को जरिये मोबाइल दिया गया अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 104/2022 धारा 304,308 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सूरज यादव पुत्र पलकधारी यादव निवासीगण चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।
गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव का0 शिवदास पाण्डेय का0 योगेन्द्र पाल थाना तहबरपुर, आजमगढ़।

थाना- तहबरपुर

धारा 308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- आवेदिका श्रीमती आशा देवी पत्नी लालचन्द यादव ग्राम गोविन्दपुर (कलहापुर) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक- 28.03.2022 को समय करीब 09.45 बजे सुबह में पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी गण मूरत यादव पुत्र लालता यादव, चन्द्रेश यादव, इन्द्रेश यादव पुत्रगण मूरत यादव मेरे दरवाजे पर चढ़कर आये और गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देती हुये घर पर लगा करकट उखाड़ कर तोड़ने फोड़ने लगे जिनका विरोध करने पर मुझे तथा मेरे पति लालचन्द्र यादव को अपने हाथों में लिये लाठी डण्डा से मारने पिटने लगे उन्हें बचाने में मेरे गांव के ही फिरतू यादव पुत्र पलटू यादव को आये तों उन्हें भी मार पिट कर घायल कर दिये तथा जाते समय लोंग जान माल की धमकी देते हुये चले गये तथा विपक्षी गणों के मारने पीटने से मेरे पति लालचन्द्र यादव का सर फट गया जिससे गंभीर चोट आयी है। उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/22 धारा 308,323,325,504,427,506 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री बेचू प्रसाद यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21.06.2022 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वाँछित अभियुक्त करते हुए भीरू की पुलिया पर मौजूद थे। कि सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद वाँछित अभियुक्त मूरत यादव पुत्र लालता यादव व उसका लड़का चन्द्रेश यादव साकिनान गोविन्दपुर कलहापुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ इस समय सोफीपुर चौराहे पर मौजूद हैं कही जाने की फिराक में किसी साधन का इन्तजार कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर दो व्यक्ति चौराहे के पास गुमटी के बगल खड़े दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम मूरत यादव पुत्र लालता यादव तथा दूसरे ने अपना नाम चन्द्रेश यादव पुत्र मूरत यादव निवासीगण गोविन्दपुर कलहापुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ बताये। पूर्ण इत्मिनान होने पर कि मु0अ0सं0 51/22 धारा 308,323,325,504,427,506 भादवि से सम्बन्धित नामजद वाँछित अभियुक्त हैं। कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 19.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 51/22 धारा 308,323,325,504,427,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मूरत यादव पुत्र लालता यादव, गोविन्दपुर (कलहापुर), थाना तहबरपुर, आजमगढ़।
2. चन्द्रेश यादव पुत्र मूरत यादव निवासीगण गोविन्दपुर (कलहापुर), थाना तहबरपुर, आजमगढ़।
7. गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव का0 हिमांशु कुमार निषाद. का0 रवि गौड़ थाना तहबरपुर आजमगढ़।

थाना- बरदह

गैगेस्टर के मुकदमे के 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22.06.22 को प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र करते हुए जिवली / बर्रा बैरियर पर संदिग्ध व्यक्ति व अवैध वाहनो की चेकिंग की गयी , तत्पश्चात प्रातः काल मे दुबरा बाजार मे चेकिंग की जा रही थी कि सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 204/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अपने घर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर चारों व्यक्तियों को उनके घर के पास से पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछ गया तो पहले ने अपना नाम 1. इन्दल यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ एवं दूसरे ने अपना नाम 2. शशिकान्त यादव पुत्र श्रीराम यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व तीसरे ने अपना नाम 3.लालबहादुर यादव पुत्र फेरई यादव सा0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व चौथे व्यक्ति ने अपना नाम 4.रामलवट यादव पुत्र धनई यादव सा0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया , चूंकि अभि0गण उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 204/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभि0 है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 06.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया ।

अपराध का तरीका- अभि0 गणो द्वारा अपने गैग के सदस्यो के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ अर्जित करने हेतु गैग बना कर मारपीट कर हत्या कारित कर देने जैसे अन्य जघन्य अपराध कारित करना

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 204/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास –

1- अपराधिक इतिहास इन्दल यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ,

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	18ए/11	323/325/504/506 भा0द0वि0	बरदह
2	158/13	323/324/506/504 भा0द0वि0	
3	69/21	147/323/504/302/34 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	

2- अपराधिक इतिहास शशिकान्त यादव पुत्र श्री राम यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	69/21	147/323/504/302/34 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	बरदह आजमगढ़

3- अपराधिक इतिहास अभि0 लाल बहादुर यादव पुत्र फेरई यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

क्र0स	मु0अ0स0	धारा	थाना
1	69/21	147/323/504/302/34 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	बरदह आजमगढ़

4-अपराधिक इतिहास रामपलट यादव पुत्र धनई यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़,

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	69/21	147/323/504/302/34 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. इन्दल यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. शशिकान्त यादव पुत्र श्रीराम यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 3.लालबहादुर यादव पुत्र फेरई यादव सा0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 4.रामलवट यादव पुत्र धनई यादव सा0 ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

धर्मेन्द्र कुमार सिंह (प्रभारी निरीक्षक) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आदित्य मिश्रा , (आरक्षी) सूरज सिंह (आरक्षी सौरभ सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़